राजस्थान सरकार

निदेशक, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर

क्रमांकः एफ ( )/स्टोर/2017–18/614 दिनांक 18–08–2017

ई–निविदा सूचना 01/2017–18

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के अधीन संचालित जनजाति आवासीय विद्यालय, उदयपुर के विद्यार्थियों को ऑनलाईन कोचिंग कराने हेतु इच्छुक संस्थाओं से ई–बोलियां (तकनीकी एवं वित्तीय) दिनांक 04–09–2017 को अपराह्न 01.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है :–

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रुपयों में)	बोली बयाना राशि (EMD) (रुपयों में)	बोली प्रपत्र शुल्क (रुपयों में)	प्रोसेसिंग शुल्क (रुपयों में)
1.	Online Coaching for class 11th and 12th students for Enterance Examitainon for Admission in Engineering & Medical College Via NEET & IIT JEE (Main & Advance) for approx. 100 students	25.00 लाख	50,000/–	400/–	500/–

सामान्य शर्तें:–

1. बोली प्रपत्र शुल्क, बोली बयाना राशि, प्रोसेसिंग शुल्क की राशि के बिना प्राप्त बोली पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
2. बोली से सम्बन्धित नियम, शर्तें एवं बोली प्रपत्र http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.rajasthan.gov.in और विभागीय वेइसाईट http://tad.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। बोलीदाता के द्वारा डाउनलोड किये गये बोली प्रपत्र का मूल्य रुपये 400/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं बोली बयाना राशि का डी.डी. निदेशक, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर के नाम एवं प्रोसेसिंग शुल्क की राशि रुपये 500/– का डी.डी. M.D., RISL, Jaipur के नाम से संलग्न कर तकनीकी बोली खुलने से पूर्व दिनांक 04–09–2017 को अपराह्न 1.00 बजे तक निदेशक, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर (राज.) में जमा कराना होगा ।
3. निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त बोली स्वीकार नहीं की जावेगी।
4. उक्त बोलियों को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार निदेशक, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर (राज.)को होगा।
5. **तकनीकी बोली प्रपत्र को स्वीकार किये जाने हेतु अनिवार्य मशर्तें :–**
   (a) निर्धारित बोली बयाना राशि, बोली शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क।
   (b) बोली प्रपत्र ऑनलाइन।
   (c) बोली के साथ में दिनांक 31–03–2017 तक वैट चुकता प्रमाण–पत्र।
   (d) वस्तु एवं सेवा कर पंजीयन संख्या का प्रमाण–पत्र स्वयं द्वारा प्रमाणित।
   (e) आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नम्बर प्रमाणित प्रति।
   (f) तकनीकी बोली प्रपत्र भरा हुआ तथा सम्बधित सभी परिशिष्ट व सभी दस्तावेज स्वयं द्वारा प्रमाणित किये होने चाहिये।
   (g) क्रय की जाने वाली वस्तु के लिए निर्माता/डीलर/अधिकृत विक्रेता होने का वैध प्रमाण–पत्र।
   (h) फर्म का गत 3 वित्तीय वर्षों (वर्ष 2014–15 से 2016–17) का औसत वार्षिक बिक्री टर्नओवर **राशि रुपये 25.00 लाख** से कम का नहीं होना चाहिये। इस हेतु फर्म द्वारा Balance Sheet (C.A. द्वारा प्रमाणित) एवं Annexure-F में C.A.का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जावे।

6. फर्म को अपना बैंक खाता संख्या मय आई.एफ.एस.सी. कोड, बैंक का नाम एवं शाखा अंकित की जानी होगी।
7. तकनीकी बोली में सफल बोलीदाता की ही वित्तीय बोली पर विचार किया जावेगा।
8. बोली में आंमत्रित दरें अनुमोदित किये जाने की दिनांक से 2 वर्ष की अवधि के लिये विधिमान्य होगी।
9. बोली प्रतिभूति/कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में छूट के लिये आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान जयपुर के पास रजिस्ट्रीकृत कुटीर एवं लघु उद्योग विभाग उन मदों के सम्बन्ध में जिसके लिये वें इस रूप में रजिस्ट्रीकृत है, सामान का क्रय राजस्थान के उद्योग के अधिमान) नियम 1995 के नियम–8 के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही जो वित्त (जी.एफ.एण्ड ए.आर.) विभाग के आदेश क्रमांक : प1(1)वित्त/सा.नि.लेनि./2007 दिनांक 19–10–2010 परिपत्र संख्याः 24/2010 में वर्णित है के अनुसार प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है अन्यथा बोली बयाना/कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में छूट देय नहीं होगा।
10. सामान/वस्तु की क्रय राशि अनुमानित है। अनुबन्ध अवधि के दौरान क्रय सामग्री की कुल क्रय अनुमानित कीमत से कम/अधिक हो सकती है। अधिकतम क्रय राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के उपनियम 73 के अनुसरण मे निम्नानुसार होगी :–
    1. संविदा के अधिनिर्णय के समय, बोली दस्तावेजों में मूलतः विनिर्दिष्ट माल, संकर्मो या सेवाओं के परिमाण में बढोतरी की जा सकेगी, किन्तु ऐसी बढ़ोतरी बोली दस्तावेजों मे विनिर्दिष्ट परिमाण के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यह बोली और बोली दस्तावेजों के इकाई मूल्यों या अन्य निबंधनों और शर्तो में किसी परिवर्तन के बिना होगी ।
    2. यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
    3. अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणें के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपंबधित हो, संविदा में दी गयी दरों और शर्तो पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश ई–बोली आमंत्रित करने के पश्चात दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण हाने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढायी जा सकगी। पुनरादेश की सीमाऐं निम्नलिखित होंगी :–
        (क) संकर्मो की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत, और
        (ख) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50 प्रतिशत ।
11. **विशेष परिस्थितियों में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 74 के अनुसार कार्य Fair,Transparent & equitable manner से विभाजित किया जा सकेगा ।**
12. राज्य में दिनांक 26–01–2013 से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 प्रभावशील है। अतः इस बोली पर उक्त अधिनियम व नियम के सभी प्रावधान प्रभावशील होंगे।

(बी.एल.कटारा)
निदेशक